सर्टिफिकेट पिम प्रशिक्षण पाठ्यक्रम

मॉड्यूल 8- एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन में जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

विषय 8.1 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का परिचय

विषय - 8.1

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का परिचय

मॉड्यूल 8 में सम्मिलित विषय

1. एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन का परिचय
2. जल बजट का परिचय तथा उससे लाभ
3. जल बजट तैयार करने की प्रक्रिया
4. जल बजट तैयार करने में विभाग तथा जल उपभोक्ता समिति की भूमिका

धरती का 70 फीसदी हिस्सा पानी से ढका हुआ है परंतु धरती पर उपलब्ध कुल जल का 98% पानी खारा है और इसमें से सिर्फ 2 फीसदी ही साफ पानी है। परन्तु इस 2 फीसदी साफ पानी का अधिकांश भाग ध्रुवीय बर्फीले इलाकों में है और इसका केवल एक फीसदी भाग (अर्थात् धरती पर उपलब्ध कुल जल का मात्र 0.0002 % मनुष्य के प्रयोग के लिए नदियों, झीलों और भूजल के रूप में है।

बढ़ते आर्थिक विकास तथा मौसमी बदलाव के कारण दुनिया भर में जल संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा है जिस कारण इसकी कुशल प्रबंधन की जरूरत दुनिया भर में महसूस की जा रही है । जिन के कुशल एवं दीर्घजीवी प्रबंधन के लिए एकीकृत जल

संसाधन प्रबंधन एक उपयुक्त प्रणाली है जो किसी भी बेसिन, कमांड अथवा क्षेत्र विशेष में जल की कुल उपलब्धता , जल के विभिन्न उपयोगों तथा उनकी प्राथमिकताओ मे तालमेल बिठाते हुए जनभागीदारी के माध्यम से योजनाओं के नियोजन और क्रियान्वयन पर आधारित है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) पानी के साथ दूसरे संसाधन को जोड़ने और मजबूत और स्थाई तौर पर पानी के प्रबंधन को पूरे पानी के हर स्तर पर उपयोग करने और सब उपयोगकर्ताओं को एकजुट कर पानी के संकट को हल करने का रास्ता दिखाता है। एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (IWRM) , आर्थिक और समाज कल्याण को न्यायसंगत तरीके से अधिकतम करने के लिए, महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी प्रणालियों की स्थिरता (sustainability of ecological systems) से समझौता किए बिना समन्वित विकास को ध्यान में रखते हुए जल, भूमि और संबंधित संसाधनों के प्रबंधन पर बल देता है ।

सरल तरीके से कहें,तो यह जल प्रबंधन गतिविधियों के एकीकरण की प्रक्रिया है:

गहन जल प्रबंधन में समुदाय की भागीदारी

+

जल संतुलन विश्लेषण / जल संरक्षण

+

सरकारी विभागों से समुदायों को तकनीकी सहायता

+

व्यावहारिक संसाधनों का प्रावधान

+

हितग्राहियों के मध्य बेहतर संवाद

1.1 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन (आईडब्ल्यूआरएम) क्यों ?

- हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% पानी से ढका हुआ है और इस पानी में से केवल 2% साफ पानी है।

- इस 2% स्वच्छ पानी का 87% ध्रुवीय बर्फ है, तथा 12% भूजल के रूप में है तथा मात्र 1% ही उपयोग हेतु नदियों, झीलों में उपलब्ध है ।

- बढ़ती आबादी और पानी के प्रतिस्पर्धी उपयोगों के साथ पानी का उपयोग दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा है ।

इस स्थिति में एकीकृत जेल संसाधन प्रबंधन की विधियों को अपनाए जाने की आवश्यकता है ।

1.2 एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के सिद्धांत:

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन तीन सिद्धांतों पर आधारित है

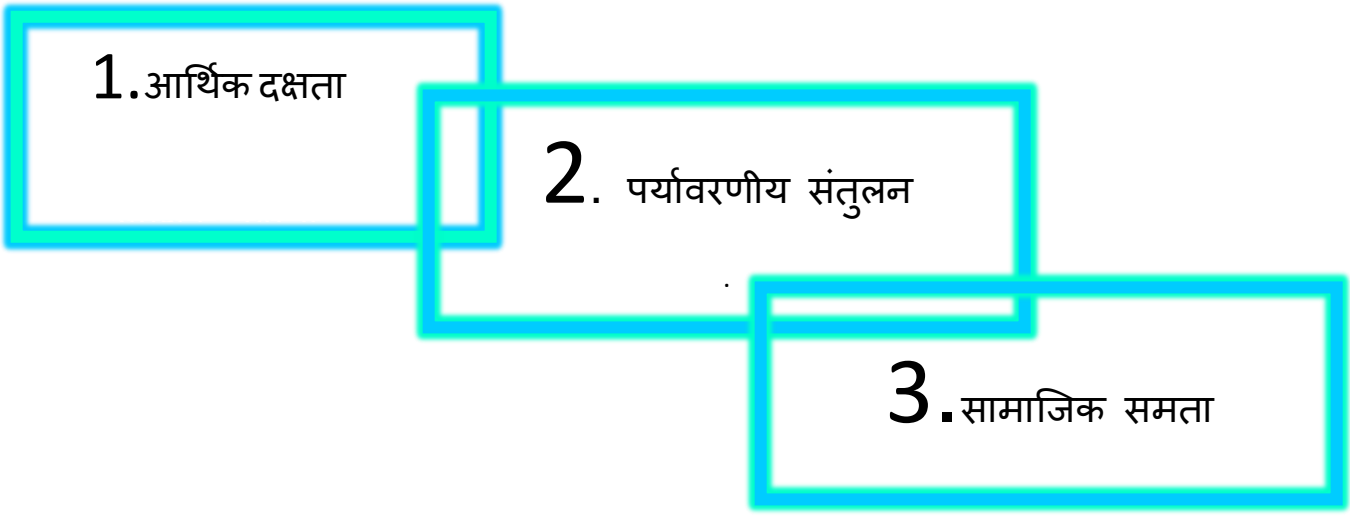

1.आर्थिक दक्षता यानि पानी के सही इस्तेमाल से आर्थिक स्थिति में सुधार,

2. पर्यावरणीय संतुलन यानि पानी के प्रयोग में पर्यावरणीय दुष्प्रभावों, उदाहरण के लिए जल प्रदूषण ,जल ग्रसनता आदि का ध्यान रखना ।

3. सामाजिक समता यानि पानी के सटीक उपयोग से समाज में समानता आना जिससे गरीबी में कमी आती है

ऊपर दिए गए सिद्धांतों के अनुसार कुछ सवालों पर ध्यान देना चाहिए:

1. इस संबंध में यानि एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के सिद्धांतों के अमल में लिए गए फैसले और उनका क्रियान्वयन पानी के सभी उपयोगकर्ताओं तक उसकी पहुंच और फायदों पर किस तरह का असर डालेंगे?
2. क्या इस तरह के फैसले और उन पर अमल से पानी का और पैसे का साझा उपयोग संभव होगा?
3. किए गए फैसलों और उनके अमल से आसपास का वातावरण और पर्यावरण पर क्या असर होगा?

राष्ट्रीय जल नीति, 2012 निम्नलिखित तरीकों से IWRM को बढ़ावा देने का प्रयास करती है:

इन तीनों एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन सिद्धांतों को अमल में लाने के लिए देश की जल नीति भी इसे आगे लाने की कोशिश करती है। इसमें गांव देहात से लेकर कस्बे, शहर, प्रदेश और देश भर में एकजाई कोशिश करने की जरूरत है और पानी को उपयोग में लाने वाले सभी विभागों, सभी उपयोगकर्ताओं की सहभागिता से इसे क्रियान्वयन करना होगा। साथ ही पानी के संभालने उसको बढ़ाने की भी कोशिश करना शामिल है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन पेयजल, कृषि एवं इससे जुड़े अन्य कार्य, उद्यानिकी, वानिकी, पशुपालन, मत्स्य पालन, डेरी आदि सभी क्षेत्रों में जल के प्रयोग को बड़ी संवेदनशीलता से चिन्हित करती है।

पानी का सही उपयोग करना राष्ट्रीय जल नीति 2012 में प्रमुख रूप से आया है। इसके साथ ही पानी की मात्रा से संबंधित आंकड़ों को सही तरीके से एकजाई करने की जरूरत है और इन आंकड़ों को सभी उपयोगकर्ताओं और प्रभावितों में साझा करना होगा।

जल संसाधन यानी पानी का प्रबंधन एकजाई तरीके से करना आवश्यक है। इसके लिए पानी के वितरण और पहुँच को सरकारों द्वारा सभी स्तरों पर समानता से न्याय पूर्ण तरीके से और पर्यावरण को ध्यान में रखकर तय करने की जरूरत है।

नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार भारत में बहुत ज्यादा जल संकट है और आबादी के बढ़ने के साथ ही 2030 तक पीने के पानी की मांग बहुत अधिक होगी। ऐसे में एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को अमल में लाने की आवश्यकता है।

एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन के अंतर्गत जल उपयोग के प्रमुख क्षेत्र

- पेयजल
- कृषि एवं इससे जुड़े अन्य कार्य
- उद्यानिकी
- वानिकी
- पशुपालन
- मत्स्य पालन
- डेरी
- उद्योग
- पर्यटन, मनोरंजन, होटल इत्यादि